



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज



लोक हितार्थ सत्य निष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

वन विभाग के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2022-23

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	5
2	संस्तुतियां	7
3	परिचयात्मक	9–11
4	मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब (अनुलग्नक—1 एवं 2)	13
5	लेखों का मिलान (अनुलग्नक—3 एवं 4)	14–15
6	मासिक रोकड़ लेखे में सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ (अनुलग्नक 5 से 8)	15–17
7	साठ०भ०नि० से संबंधित एवं ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले (अनुलग्नक—9)	18–19
8	वन विभाग का वर्ष 2017–18 से वर्ष 2022–23 का तुलनात्मक आय-व्ययक विवरण (अनुलग्नक—10); लेखा परीक्षा द्वारा <u>इंगित</u> विसंगतियाँ एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण अधिनियम—2016	19–21
9	अनुलग्नक 1–10	22–47

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग के प्रभागों की वर्ष 2022–23 के लेखों तथा कार्य प्रणाली की इस कार्यालय द्वारा की गयी समीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इस कार्यालय द्वारा वन विभाग के 124 प्रभागों एवं 77 कोषागारों से प्राप्त लेखों का संकलन किया जाता है। इस समीक्षा का उद्देश्य वन विभाग के लेखों के रख—रखाव में गुणवत्ता एवं शुद्धता में सुधार लाना है। इस हेतु लेखों के रख—रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीभूत किया गया है।

हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत समीक्षा वन विभाग को और अधिक कार्यदक्ष बनाये रखने के साथ भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में इंगित अनियमितताओं के सुधार हेतु वन विभाग को शासन स्तर से उचित निर्देश की भी अपेक्षा है।



(जा० सुरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार

प्रयागराज

दिनांक : ५/०२/२४

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)—द्वितीय
उ०प्र०, प्रयागराज

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे में वन विभाग प्रभागों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही ऑकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय—समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में प्रभागों के लेखों के सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-201 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखा शून्य होने की स्थिति में भी समस्त प्रपत्रों सहित लेखा प्रपत्र ई-7 पर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. शासनादेश सं0 बी-963/दस-2001 दिनांक 16.04.2001 एवं संख्या बी-1-3706/दस-2004 दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रभाग को करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को राजस्व पक्ष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।
4. इस कार्यालय परिपत्र सं0 व0स0प्र0/म0लेखा/356 दिनांक 11.12.2002 में निर्धारित अवधि तक प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों का मिलान कराया जाना चाहिए।
5. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराना चाहिए।
6. पूर्व वर्षों के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यालय महालेखाकार (लो० एवं हक०)–द्वितीय उ०प्र०,

20, सरोजनी नायडू मार्ग

प्रयागराज–211001,

दूरभाष :— 0532 — 2622625, 2622628



वर्ष 2022–23 की वन विभाग की कार्यप्रणाली पर समीक्षा :-

परिचयात्मक

वन विभाग की संरचना के अनुसार प्रधान प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख हैं तथा वन विभाग के मामलों में राज्य सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार हैं। इनकी संहायता के लिए प्रमुख वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना उ०प्र०, प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उ०प्र० लखनऊ है। इसके अतिरिक्त निम्न अपर प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक (प्रशासनिक इकाई के रूप में) हैं।


- (क) (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(2) अपर मुख्य वन संरक्षक / निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान कानपुर।
(3) अपर प्रमुख वन संरक्षक / निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी उ०प्र० लखनऊ।
(7) अपर प्रमुख वन संरक्षक जैव विविधिता उ०प्र०, लखनऊ।
(8) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेखा परीक्षक एवं गैर योजना।
(9) अपर प्रमुख वन संरक्षक आगरा क्षेत्र।
(10) अपर प्रमुख वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर लखनऊ।
(11) अपर प्रमुख वन संरक्षक जलागम प्रबन्धन / ग्रीन इण्डिया मिशन लखनऊ।

- (ख) (1) मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल।
 (2) मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर मण्डल।
 (3) मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल।
 (4) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल।
 (5) मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ।
 (6) मुख्य वन संरक्षक रुहेल खण्ड क्षेत्र बरेली।
 (7) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।
 (8) मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
 (9) मुख्य वन संरक्षक परिस्थितिकीय विकास लखनऊ।
 (10) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव।
 (11) मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी।
 (12) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।
 (13) मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी।
 (14) मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर।
 (15) मुख्य वन संरक्षक /वन वर्धनिक कानपुर।
 (16) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक बरेली।
 (17) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक वाराणसी।
 (18) मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ।
 (19) मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबन्ध लखनऊ।
 (20) मुख्य वन संरक्षक नियोजन लखनऊ।
 (21) मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
 (22) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) लखनऊ।
 (23) मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उ०प्र० लखनऊ।
 (24) मुख्य वन संरक्षक राज्य प्राणि उद्यान प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
 (25) मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं लेखापरीक्षा लखनऊ।
 (26) मुख्य वन संरक्षक कैम्पा लखनऊ।
 (27) मुख्य वन संरक्षक भू—अभिलेख एवं बन्दोबस्त लखनऊ।
 (28) मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता लखनऊ।
 (29) मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) लखनऊ।


- (30) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ अराजपत्रित।
- (31) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ राजपत्रित।
- (32) मुख्य वन संरक्षक (प्रचार—प्रसार एवं जन सम्पर्क)।
- (33) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी लखनऊ।
- (34) मुख्य वन संरक्षक (नीति विश्लेषण एवं समन्वय) लखनऊ।
- (35) मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग अधिकारी, उत्पादन लखनऊ।
- (36) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) प्रयागराज।

इस प्रकार वन विभाग में 32 वृत्त एवं 92 प्रभागों सहित कुल 124 वृत्तों/प्रभागों से मासिक लेखे प्राप्त होते हैं।

कोषागार से प्राप्त मासिक लेखे (CCL) का फलो चार्ट



प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखे (DCL) का फलो चार्ट



वन एवं वन्य जीव विभाग में CCL प्रणाली का कोषागार प्रणाली में परिवर्तन

प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग में पूर्व मे अधिष्ठान मदों का संचालन कोषागार प्रणाली के माध्यम से तथा अधिष्ठान मदों से भिन्न कार्य मदों के व्यय CCL प्रणाली से आच्छादित थे। उ0प्र0शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 संख्या 1/2020/ए-2-118/दस 2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा 01.04.2020 से वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया तथा वन एवं वन्यजीव विभाग की जमा साख सीमा (DCL) की प्रक्रिया मे कोई परिवर्तन न करते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

वार्षिक समीक्षा का उद्देश्य –

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखे एवं कोषागार से प्राप्त उक्त विभाग के मासिक लेखे की समीक्षा कर उनमे व्याप्त विसंगतियों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर उचित सुधार हेतु कार्यालय स्तर पर प्रयत्न करना तथा संबन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों को व्याप्त विसंगतियों से अवगत कराना तथा सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न करना तथा प्रोत्साहित करना है।

वन विभाग की लेखाकार्य प्रणाली पर वर्ष 2022–23 की वार्षिक समीक्षा के मुख्य बिन्दु:-

1. (अ) मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-7 के पैरा 201 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षकों के मासिक लेखे अगले माह की 6 तारीख तक तथा उप वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशकों/प्रभागीय वनाधिकारियों के मासिक लेखे अगले माह की 10 तारीख तक तथा माह मार्च का लेखा 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय मे प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब की स्थिति मे आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारण सूचित करना चाहिए। परन्तु समीक्षा मे पाया गया कि विलम्ब के कारणों को किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया।

वर्ष 2022–23 मे अधिकांश लेखों के प्राप्त होने मे एक से दस दिनों का विलम्ब हुआ। दस दिन तक विलम्ब से प्राप्त होने वाले लेखों को विशेष प्रयास द्वारा उसी माह के लेखे मे सम्मिलित किया गया। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-1** मे दी गयी है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रभागों के मासिक लेखे वित्तीय वर्ष मे 4 अथवा अधिक माहों मे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-2** मे संलग्न हैं।

(ब) लेखों का मिलान

शासनादेश सं0 ए–2–47 /दस–97–10(9)95 दिनांक 03 मार्च 1997 से अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन कोषागार प्रणाली से आच्छादित किया गया एवं वन विभाग के कार्यमदों के व्यय को पूर्व की भाँति सी0सी0एल0 प्रणाली से ही किया जाता था। शासनादेश सं0–1 /2020ए–2–118 /10–2020–10(9) /95 दिनांक 18 मार्च 2020 के अनुसार अप्रैल–2020 से वन विभाग की कार्यमदों के व्यय का संचालन सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त करते हुए समस्त व्ययों का संचालन अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट आबंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली से आच्छादित कर दिया गया। इस प्रकार जमा साख सीमा के अन्तर्गत होने वाले व्यय के ऑकड़ों का मिलान प्रभागों द्वारा कराया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट आबंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली के तहत किये जाने वाले व्यय के ऑकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(i.) जमा साख सीमा के अन्तर्गत व्यय के ऑकड़ों का मिलान :–

वन विभाग के समस्त वृत्त/प्रभागों द्वारा जमा साख सीमा के अन्तर्गत आय/व्यय के ऑकड़ों का मिलान इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये किये गये ऑकड़ों से प्रत्येक तिमाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा ऑकड़ों के मिलान के उपरान्त किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को भिन्नता सम्बन्धी ऑकड़े पूर्ण साक्ष्य सहित अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से प्रेषित किये जाने चाहिए ताकि इस कार्यालय में भी अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से लेखे में सुधार किया जा सके एवं भिन्नता न होने की स्थिति में भी इस कार्यालय को व्यय के ऑकड़ों सहित मिलान किये जाने की सूचना प्रेषित करना चाहिए ताकि लेखा मिलान प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। किन्तु कई वनाधिकारियों द्वारा लेखों की भिन्नता/मिलान सम्बन्धी कोई टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी। स्थिति अनुलग्नक–3 में संलग्न है।

अतः नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त वृत्त/प्रभागों के सम्बन्धित लेखाकारों /वरिष्ठ सहायकों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि त्रैमासिक आधार पर इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये गये पुस्तांकित ऑकड़ों से विभागीय ऑकड़ों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलान करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में मिलान सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें।

(ii.) कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त लेखों का मिलान :-

शासनादेश सं0 ए-2-47 / दस-97-10(9) 95 दिनांक 03.12.1997 से वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिष्ठान मदों एवं शासनादेश सं0-1/2020/ए-2-118/दस-2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से कार्यमदों हेतु भी ऑनलाइन बजट आबंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत उ0प्र0, बजट मैनुअल के प्रस्तर-124 के अनुसार कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखे कार्यालय महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित किये जायेंगे एवं महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से विभाग के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। किन्तु वित्तीय वर्ष 2022–23 में वन विभाग के अनुदान संख्या 60, 81, 83 के अन्तर्गत व्यय लेखाशीर्ष 2406, 2407, 4406 एवं प्राप्ति शीर्ष "0406" के आँकड़ों जो कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट <http://www.cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड की गई है, से मिलान कर नियन्त्रक अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को सूचित नहीं किया गया। कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत व्यय/प्राप्ति किन्तु मिलान न करायी गयी धनराशि का विवरण अनुलग्नक-4 में दर्शाया गया है।

2. मासिक रोकड़ लेखों में पाई गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

(अ) त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

मासिक रोकड़ लेखे एवं वर्गीकृत सार (क्लासीफाइड एब्सट्रैक्ट) में मुख्य लेखाशीर्ष से आब्जेक्ट हेड तक 15 अंको का पूर्ण लेखा शीर्ष अनुदान संख्या सहित अंकित होना चाहिए, जिससे उनका लेखांकन बजट के प्रावधानों के अनुरूप किया जा सके तथा वर्गीकृत सार के अंत में वर्गीकृत सारांश भी अंकित होना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया है कि आहरण वितरण अधिकरियों द्वारा मासिक लेखों में पूर्ण वर्गीकरण एवं विवरण नहीं दिया जाता है तथा कहीं-कहीं पर अस्पष्ट विवरण के साथ त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण दिया जाता है। मासिक लेखा एवं उससे संबंधित सभी अभिलेखों पर पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वर्गीकरण अंकित किया जाना अपेक्षित है। विवरण अनुलग्नक-5 में संलग्न है।

(ब) सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

1. मासिक लेखा तैयार करते समय इस कार्यालय द्वारा प्रखण्ड को आबंटित कोड संख्या (FRD CODE) भी अवश्य **BOLD Letters** में लिखा जाना चाहिए किन्तु कुछ प्रभागों द्वारा FRD CODE अंकित नहीं किये जाते हैं।
2. मासिक लेखे के साथ निम्नलिखित प्रपत्र (I) ई-6 (II) ई-11, (III) ई-13 (IV) ई-23 (V) ई-11(A), (VI) ई-14, (VII) ई-24 संलग्न नहीं किये जाते हैं।

3. मासिक लेखे के साथ प्रेषित प्रपत्र में अंकित विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।
 4. वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न नहीं है।
 5. वर्गीकृत सार में ए0जी0 प्रमाणक संख्या अंकित नहीं है।
 6. वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित नहीं है।
 7. व्यय के सारांश के अन्त में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
 8. मासिक लेखा प्रपत्र ई–7 पर नहीं तैयार किये जाते हैं।
 9. वन प्रेषण (पार्ट–01) के अन्तर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ नहीं प्रेषित किये गये हैं।
 10. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) नहीं प्रेषित किये जाते हैं।
 11. माह के दौरान प्रपत्र ई–13 लेजर में असमायोजित धनराशि का स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया गया है।
 12. मासिक लेखा ई–मेल से प्राप्त हुआ है किन्तु मूल लेखा समस्त प्रमाणकों सहित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुआ है।
- विवरण अनुलग्नक–6 पर प्रदर्शित हैं।

(स) बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

(i.) वन जमा बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष “8443” वन जमा के वृहत पत्र में विभिन्न प्रभागों में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन जमा शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक अवशेष के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागों से पत्राचार किया जा रहा है। मासिक रोकड़ लेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि फार्म–E–11(A) का समेकित सार कुछ प्रभागों द्वारा नहीं प्रेषित किया जाता है जिससे माह के प्रारम्भ में लेखाशीर्ष “8443” का कुल प्रा0 अवशेष व माह के अन्त में कुल अन्तिम अवशेष ज्ञात नहीं हो पाता जिससे कि वृहत पत्र में दर्ज अवशेषों से मिलान किया जा सके। वृहत पत्र में ऋणात्मक अवशेषों का निराकरण किया जाना अपेक्षित है। ऋणात्मक अवशेष वाले प्रभागों की सूची अनुलग्नक–7 में संलग्न है।

(ii) वन अग्रिम बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8550–00–101 वन अग्रिमों के वृहतपत्र में भी विभिन्न प्रभागों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जिन प्रभागों में वन अग्रिम के वृहतपत्र में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहे हैं उन प्रभागों से पत्राचार किया जा रहा है एवं उन माहों के मासिक रोकड़ लेखों

की द्वितीय प्रति मंगाई जा रही है जिन माहों से ब्रॉडशीट का अन्तिम शेष ऋणात्मक प्रारम्भ हुआ है ताकि अन्तिम अवशेष ऋणात्मक होने के कारणों का पता कर उनका निराकरण किया जा सके। वन अग्रिम ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची अनुलग्नक-8 में संलग्न है।

(iii) वन प्रेषण लेखाशीर्ष सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8782—नकद प्रेषण—00—103—वन प्रेषण—01 कोषागार में प्रेषण के अन्तर्गत धनराशि डेबिट की जाती है जबकि यह धनराशि कोषागार के लेखे में क्रेडिट की जाती है। इसी प्रकार प्रभागों के लेखे में लेखाशीर्ष 8782—नकद प्रेषण—00—103—वन प्रेषण—02 वन चेक्स/ई—टोकन के अन्तर्गत धनराशि क्रेडिट की जाती है जबकि चेक्स/ई—टोकन की भुगतान की धनराशियों को कोषागार अपने लेखे में डेबिट करता है।

वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अनुसार कोषागारों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रत्येक माह के अनुगामी माह की चार तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (CTR) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उल्लब्ध कराया जाना चाहिए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर-650 एवं शासनादेश सं0 ए-2-1967/दस—सासी-83/14(6)/183 दिनांक 15.07.1983 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ई—पेमेन्ट प्रणाली लागू होने के पश्चात लेखाशीर्ष 8782 में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण में प्रगति पायी गयी है जबकि पूर्व की डेबिट एवं क्रेडिट दोनों ही पक्षों की धनराशियाँ अनिस्तारित पड़ी हुई हैं।

अतः उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण सहित प्रत्येक मासिक लेखे के साथ (CTR) एवं (CTI) की प्रति संलग्न करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

3. वन विभाग से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के विषयकः—

(अ) नये सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन :-

वर्ष 2022–23 में सामान्य भविष्य निधि में माह 04/2022 से 03/2023 तक कुल—131 नये कर्मचारियों / अधिकारियों को खाता संख्या आवंटित किया गया। ये अभिदाता वर्ष 2005 से पूर्व सेवा में आये हैं, तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के उपरान्त साठ०नि० खाता संख्या आवंटित किये गये हैं।

(ब) अंतिम भुगतान सामान्य भविष्य निधि के मामले :-

शासनादेश संख्या एस०ए०—४—ए०जी० ५७/तीन—८४ दिनांक 5.10.1984 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आगामी एक वर्ष छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची महालेखाकार कार्यालय को भेजनी चाहिए तथा उनकी पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से कराना चाहिए। कुछ मामलों में पासबुक के मिलान की कार्यवाही सेवानिवृत्त से पूर्व नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त अभिदाताओं की पासबुक में कॉलम तीन एवं चार में कमशः कोषागार वाउचर संख्या एवं दिनांक तथा वाउचर की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिये गये आहरण / अग्रिम लेने अथवा नहीं लेने की दशा में स्पष्ट प्रविष्टि पासबुक के डेविट कालम में की जानी चाहिए तथा उसका सत्यापन भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2022–23 में अंतिम भुगतान के कुल 401 प्रकरण प्राप्त हुये जिसमें से 393 प्रकरणों को दिनांक 31.03.2023 तक आवश्यक कार्यवाही के पश्चात निस्तारित कर दिया गया।

(स) साठ०नि० से संबंधित ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले :-

शासनादेश संख्या जी०—४/ए०जी०/५७/तीन—८४५१०—८४ दिनांक 26.12.84 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं की पासबुक का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से मिलान कराये बिना अभिदाताओं के खातों में जमा राशि का 90% भुगतान कर दिया गया तथा शेष 10% धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण भेजे गये हैं। वर्ष 1991—92 से 2022–23 तक शेष 19 प्रकरणों में अभी रु० 280021/- की वसूली होनी है जिसके लिये शासन स्तर एवं प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर पत्राचार किया गया है। अनुलग्नक—९ पर ऋणात्मक प्रकरणों की सूची प्रस्तुत है। संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को वसूली हेतु निर्देश निर्गत होना अपेक्षित है।

(द) चतुर्थ श्रेणी एवं भारतीय वन सेवा के अतिरिक्त वन विभाग के कर्मचारियों (जिनके साठ०नि० खातों में अन्तर हो) के सामान्य भविष्य निधि खातों को अद्यतन करने हेतु

पासबुक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पत्राचार किया गया परन्तु विभाग द्वारा इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली गयी। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश समस्त आहरण/वितरण अधिकारियों को जारी किये जाने की आवश्यकता है।

- (च) प्रत्येक माह कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के साठ०भ०नि० खाता संख्या शिडयूल में गलत लिखे या अंकित नहीं होते हैं जिससे इन अभिदाताओं का मासिक अभिदान उनके सही खाते में अंकित नहीं हो पाता है तथा अनिस्तारित धनराशि पड़ी रहती हैं। साठ०भ०नि० अशंदान की राशि अभिदाता के सही खाते में अंकित हो, इस सम्बन्ध में आहरण/वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना अपेक्षित है।

4. तुलनात्मक आय-व्ययक विवरण –

वन एवं वन्य जीव विभाग का वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक तुलनात्मक आय-व्ययक विवरण अनुदान वार एवं मद वार तैयार किया गया तथा देखा गया कि अधिकांश मद में विभाग द्वारा आवंटित बजट से कम व्यय किया गया है। तुलनात्मक आय-व्ययक विवरण अनुलग्नक-10 में संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियाँ –

1. केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पायी गयी आम किरम की अनियमितताएं—

- (i) श्रमिकों के भुगतान के वॉउचर में अनियमितताएं—

(क) मस्टर रोल संलग्न न किया जाना।

(ख) सभी कॉलम पूर्ण रूप से न भरा जाना।

(ग) वॉउचर पर “भुगतान एवं निरस्त” अंकित न किया जाना।

(घ) पूर्व माहों का भुगतान बाद में किया जाना।

(ङ) श्रमिकों की संख्या अंकित न किया जाना।

- (ii) वेतन चिट्ठे से जी०पी०एफ०/एन०पी०एस०/आयकर की कटौती न किया जाना।

2. उपर्युक्त अनियमितताओं में से केवल एक उत्तर वेतन चिट्ठे से सम्बन्धित अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी आपत्ति का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3. वन मण्डलों की स्थानीय लेखा परीक्षा (वर्ष 2022–23) की महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची—

क्र०सं०	इकाई का नाम	महत्वपूर्ण अनियमितताओं का विवरण	मनी वैल्यू (लाख में)
1.	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, प्रयागराज	1. Short Levying Of Net Present Value (N.P.V) tuning to Rs 3.11 Crore. 2. Non Execution Of Lease Deed	311 41.26
2.	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर	Plantation Beyond Total Area Available in Forest Block in Shahjahanpur Division (3.27 Crore)	327
3.	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, उ०प्र० आगरा	आई०ओ०सी० मथुरा से लीज प्रीमियम और लीज रेन्ट के रूपये 6.47 करोड़ की वसूली न होना।	647

6. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम—2016 :-

केन्द्रीय सरकार के प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम—2016 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात, राज्य निधि के प्रावधान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के पास राज्य के निक्षेप से प्राप्त धनराशि की 90% धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8336 सिविल निक्षेप लघुशीर्ष 102—राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ लघुशीर्ष 129—राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में अगस्त—2019 में सर्वप्रथम रु० 18196267880.00 (अट्ठारह अरब उन्नीस करोड़ बासठ लाख सरसठ हजार आठ सौ अस्ती मात्र) स्थानान्तरित किया गया।

उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य निधि में अवशेष धनराशि अव्यपगतीय होगी और वर्षानुवर्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगी।

निधि से व्यय हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के अनुदान में लेखाशीर्ष 2406—04—103 के सम्बन्धित उपशीर्ष में बजट का प्रावधान तथा निधि (मुख्य शीर्ष 8121—129—राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि) से लेखा समायोजन हेतु अनुदान के लेखाशीर्ष 2406—04—904 के सम्बन्धित उपशीर्ष में ऋणात्मक डेबिट हेतु समतुल्य धनराशि का प्रावधान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2019—20 में रु० 6231.54 लाख के व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 में रु० 25205.58 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406—04—103 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पुस्तांकित किया गया। कैम्पा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 745/2—37—2 दिनांक 27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019—20 हेतु निर्धारित 3% वार्षिक दर को पुनः संशोधित करते हुए 5.5% किया गया जिस पर अवशेष ब्याज की राशि रु० 263860559.00 एवं वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु 3.4% वार्षिक की दर से आगणित ब्याज की धनराशि रु० 572045698.00 को राज्य प्रतीकारात्मक निधि में जमा किये जाने हेतु प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ के

पत्रांक 431 / 36-बी०-८ (कैम्पा) / 2022-23 दिनांक 25.01.2023 द्वारा उ०प्र० शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कैम्पा मद हेतु ब्याज दर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई भी शासनादेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

एड-हॉक कैम्पा भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उ०प्र० कैम्पा को बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि जो दिनांक 31.03.2021 तक व्यय नहीं की गई थी, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 15.07.2020 के क्रम में मय ब्याज सहित रु० 3645.75 लाख चालान द्वारा 25.11.2021 को राज्य प्रतीकारात्मक वन रोपण निधि उ०प्र० में जमा करायी गयी जिसके उपरान्त निधि के अन्तर्गत कुल अन्तरित की गई धनराशि रु० 185608.43 लाख हो गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 35895.28 लाख के व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 23174.42 लाख के व्यय लेखाशीर्ष 2406-04-103 के अन्तर्गत इस कार्यालय में पुस्तांकित किये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में अवशेष राशि पर 3% वार्षिक दर पर ब्याज की राशि रु० 316632670.00 (एकत्तीस करोड़ छाँच लाख बत्तीस हजार छ: सौ सत्तर मात्र) का आगणन कर राज्य प्रतीकारात्मक वन रोपण निधि उ०प्र० में वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह 03/2023 में चालान द्वारा जमा किया गया। इस प्रकार वर्ष 2022-23 का प्रारम्भिक अवशेष 1182.76 करोड़, प्राप्ति 31.66 करोड़, व्यय 231.74 करोड़ तथा अन्त शेष 982.68 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्याज संशोधन के फलस्वरूप अवशेष ब्याज धनराशि रु० 263860559.00 तथा वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अवशेष धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि अभी तक SCAF में जमा नहीं की गयी हैं।

कैम्पा निधि से व्यय की गयी धनराशि का इस कार्यालय में पुस्तांकित धनराशि से नियन्त्रक अधिकारी द्वारा मिलान नहीं कराया जा रहा है।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष व्यय की गयी धनराशि का नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही मिलान कराया जाय एवं अवशेष धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना कर SCAF में जमा कराया जाय।

अनुलग्नक—1

वर्ष 2022–23 में अति विलम्ब से मासिक लेखे प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची
(माह की 15 तारीख अथवा उसके बाद प्राप्त हुए मासिक लेखे)

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	कोड	माह											
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	11	4/22	6/22	7/22	12/22	3/23							
2	प्र.नि.सा.वा. वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	12	6/22	11/22										
3	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी	14	10/22											
4	प्रभागीय वनाधिकारी वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग उ०प्र० लखनऊ	21	4/22	7/22	1/23									
5	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग उन्नाव	43	3/23											
6	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग सीतापुर	44	1/23											
7	प्र.नि.सा.वा. वन्य एवं वन जीव प्रभाग हरदोई	45	7/22											
8	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वनप्रभाग / उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुरखीरी	46	4/22	6/22	7/22									
9	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बलिया	52	4/22	5/22	6/22	8/22	9/22	10/22	1/23	2/23	3/23			
10	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग आगरा	61	4/22	10/22	2/23									
11	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मैनपुरी	62	4/22	5/22	10/22	3/23								
12	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मथुरा	63	4/22	5/22	6/22	7/22	10/22	3/23						
13	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग एटा	64	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	12/22	2/23	3/23		
14	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग अलीगढ़	65	4/22	3/23										
15	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फिरोजाबाद	66	4/22	6/22	8/22	11/22								
16	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	67	5/22	6/22	7/22	8/22	11/22	12/22	2/23					
17	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर	71	4/22	7/22	1/23	3/23								
18	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग ललितपुर	72	4/22	6/22	12/22	3/23								
19	उप वन संरक्षक झाँसी वन प्रभाग झाँसी	73	6/22	3/23										
20	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई	74	6/22	7/22										
21	प्रभागीय वनाधिकारी बांदा वन प्रभाग बांदा	75	4/22	5/22	6/22									

22	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा	76	4/22	5/22								
23	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	77	1/23									
24	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली	81	3/23									
25	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बदायूं	82	3/23									
26	प्रभागीय वनाधिकारी वन्य एवं वन जीव प्रभाग शाहजहाँपुर	83	3/23									
27	उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व पालिया खीरी	112	5/22	6/22	7/22	9/22	10/22	11/22	12/22	2/23		
28	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	114	4/22	6/22	2/23							
29	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग बस्ती	151	4/22	6/22	7/22	12/22						
30	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग सिद्धार्थनगर	152	4/22	11/22	2/23							
31	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग देवरिया	153	4/22	3/23								
32	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर	154	7/22	2/23	3/23							
33	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग कानपुर	191	11/22									
34	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग इटावा	192	4/22	10/22								
35	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फरुखाबाद	193	4/22	7/22								
36	प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया	196	3/23									
37	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुरादाबाद	221	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22					
38	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बिजनौर	222	4/22	9/22	10/22	11/22	2/23					
39	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग रामपुर	223	3/23									
40	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	224	5/22	7/22	8/22	10/22	2/23					
41	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा	225	4/22	6/22	8/22	9/22	10/22					
42	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल	226	4/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	2/23	3/23	
43	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मेरठ	251	3/23									
44	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग गाजियाबाद	252	4/22	3/23								
45	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बुलंदशहर	253	4/22	7/22	9/22	10/22	12/22	1/23	2/23			
46	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग सहारनपुर	254	7/22									
47	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुजफ्फरनगर	255	3/23									

48	प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर	257	4/22									
49	प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर नोएडा	258	3/23									
50	प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़	259	3/23									
51	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक साल क्षेत्र उ०प्र० बरेली	342	3/23									
52	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक दक्षिण क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	343	12/22									
53	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक विंध्यक्षेत्र रामनगर वाराणसी	344	8/22	10/22	3/23							
54	प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच वन प्रभाग बहराइच	372	3/23									
55	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर	373	4/22	6/22								
56	प्रभागीय वनाधिकारी गोडा वन प्रभाग गोडा	374	6/22	2/23	3/23							
57	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग बाराबंकी	376	7/22									
58	प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमेठी	378	7/22	2/23								
59	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर	411	6/22	10/22	12/22	1/23	2/23	3/23				
60	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	412	4/22	6/22								
61	उप वन संरक्षक /प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट सोनभद्र	413	4/22									
62	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र	414	10/22									
63	प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग भदोही	415	4/22	6/22	7/22	8/22	11/22	2/23	3/23			
64	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग गाजीपुर	422	4/22									
65	वन संरक्षक /निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर	452	4/22	5/22	6/22	7/22	9/22	3/23				
66	प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर	471	7/22	12/22	3/23							
67	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा	472	4/22									
68	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज	521	5/22	6/22	7/22	10/22	1/23					
69	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर	523	4/22	6/22	7/22	3/23						
70	प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली	534	4/22	6/22								
71	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर	551	4/22	5/22	8/22	10/22	3/23					
72	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन	571	4/22	8/22	3/23							

	प्रभाग कासगंज													
73	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज	C01	5/22											
74	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ	C04	4/22	5/22	6/22	8/22	9/22	1/23	2/23	3/23				
75	वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा	C06	9/22	10/22	12/22									
76	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखंड वृत्त झाँसी	C07	4/22	5/22	7/22	9/22	10/22	11/22	12/22	1/23	2/23	3/23		
77	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	C08	4/22	7/22	2/23									
78	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) लखनऊ	C10	6/22											
79	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	C11	4/22	6/22	7/22	3/23								
80	मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर	C15	8/22											
81	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर	C19	5/22	10/22										
82	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	C22	4/22	6/22	7/22	10/22	12/22	3/23						
83	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	C23	4/22											
84	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ	C25	6/22											
85	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	C27	9/22											
86	मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार लखनऊ	C31	4/22	2/23										
87	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना उ०प्र० लखनऊ	C32	4/22	6/22	7/22	12/22	1/23	2/23						
88	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उ०प्र० कानपुर	C34	12/22	3/23										
89	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ	C35	10/22	1/23	3/23									
90	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण सेल मानव संसाधन विकास उ०प्र० लखनऊ	C38	4/22	6/22										
91	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना रिपोर्टिंग लखनऊ	C39	9/22	12/22	3/23									
92	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	C40	6/22	8/22	10/22	12/22	2/23							
93	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर	C41	3/23											
94	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	C42	7/22	9/22	11/22	12/22								
95	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य	C45	10/22	11/22	12/22	2/23	3/23							

	जीव उ०प्र० लखनऊ											
96	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	C47	4/22	5/22	9/22	11/22	12/22	1/23	2/23	3/23		
97	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जौन उ०प्र० बरेली	C48	3/23									
98	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्णी) गोडा	C52	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	2/23	3/23
99	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	C58	2/23									

अनुलग्नक—2

निम्नलिखित प्रभागों के मासिक लेखे 04 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	प्रभाग का कोड
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	11
2	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी	14
3	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ	41
4	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग रायबरेली	42
5	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग उन्नाव	43
6	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग सीतापुर	44
7	प्र.नि.सा.वा. वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई	45
8	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वनप्रभाग / उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुरखीरी	46
9	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी	47
10	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग आजमगढ़	51
11	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बलिया	52
12	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मऊ	53
13	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग आगरा	61
14	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मैनपुरी	62
15	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मथुरा	63
16	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग एटा	64
17	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग अलीगढ़	65
18	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फिरोजाबाद	66
19	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	67
20	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर	71
21	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग ललितपुर	72
22	उप वन संरक्षक झाँसी वन प्रभाग झाँसी	73
23	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई	74

24	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली	81
25	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बदायूं	82
26	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर	83
27	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग पीलीभीत	85
28	उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व पालिया खीरी	112
29	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	114
30	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग बस्ती	151
31	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग सिद्धार्थनगर	152
32	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग देवरिया	153
33	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर	154
34	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग कानपुर	191
35	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग इटावा	192
36	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फरुखाबाद	193
37	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग कानपुर देहात	194
38	प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज	195
39	प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया	196
40	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुरादाबाद	221
41	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बिजनौर	222
42	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	224
43	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा	225
44	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल	226
45	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मेरठ	251
46	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग गाजियाबाद	252
47	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बुलंदशहर	253
48	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुजफ्फरनगर	255
49	प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर नोएडा	258

50	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक साल क्षेत्र उ०प्र० बरेली	342
51	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक विध्य क्षेत्र रामनगर वाराणसी	344
52	प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच वन प्रभाग बहराइच	372
53	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर	373
54	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा	374
55	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग सुल्तानपुर	375
56	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग बाराबंकी	376
57	प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमेठी	378
58	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर	411
59	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	412
60	प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग भदोही	415
61	वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना उ०प्र० लखनऊ	451
62	वन संरक्षक निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर	452
63	प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर	471
64	प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर वाराणसी	473
65	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज	521
66	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर	523
67	प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली	534
68	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर	551
69	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज	571
70	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र ^{लखनऊ}	C04
71	वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा	C06
72	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी	C07
73	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	C08
74	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	C11
75	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	C22
76	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	C23
77	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	C27

78	मुख्य वन संरक्षक (नियोजन) उ०प्र० लखनऊ	C29
79	मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार लखनऊ	C31
80	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना उ०प्र० लखनऊ	C32
81	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उ०प्र० कानपुर	C34
82	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ	C35
83	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू (क्षेत्र) वृत्त अयोध्या	C37
84	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण सेल/मानव संसाधन विकास उ०प्र० लखनऊ	C38
85	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना रिपोर्टिंग लखनऊ	C39
86	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	C40
87	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर	C41
88	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	C42
89	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ	C45
90	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	C47
91	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ०प्र० बरेली	C48
92	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	C52

अनुलग्नक—3

वृत्त/प्रभाग के नाम जिनके द्वारा वर्ष 2022–23 के डी0सी0एल0 अँकड़ों का मिलान नहीं प्रेषित किया गया है—

क्रम सं0	प्रभाग का नाम	प्रभाग का कोड
1	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग प्रयागराज	13
2	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बलिया	52
3	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मैनपुरी	62
4	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग एटा	64
5	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फिरोजाबाद	66
6	उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व पालिया खीरी	112
7	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर	154
8	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फर्रुखाबाद	193
9	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुरादाबाद	221
10	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बिजनौर	222
11	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	224
12	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा	225
13	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल	226
14	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक साल क्षेत्र ३०प्र० बरेली	342
15	वन संरक्षक /निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर	452
16	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज	521
17	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर	551
18	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज	571
19	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज	C01
20	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ	C04
21	वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा	C06
22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी	C07

23	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	C11
24	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर	C19
25	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	C22
26	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	C27
27	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू (क्षेत्र) वृत्त अयोध्या	C37
28	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना रिपोर्टिंग लखनऊ	C39
29	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	C40
30	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर	C41
31	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	C42
32	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	C47
33	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ०प्र० बरेली	C48
34	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	C52
35	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	C58

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत व्यय/प्राप्ति, किन्तु नियन्त्रक
अधिकारी द्वारा मिलान न करायी गयी धनराशि –

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखाशीर्ष व्यय	नियन्त्रक अधिकारी का नाम	धनराशि
1	60	2406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	8964824635.00
2	60	2407	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	57360717.00
3	60	4406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	9004561862.00
4	81	2406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	0.00
5	81	4406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	23416956.00
6	83	2406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	0.00
7	83	4406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	150088572.00
8	—	प्राप्ति 0406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ	3222777095.00
			कुल योग	21423029837.00

अनुलग्नक-5

वित्तीय वर्ष 2022–23 में ऐसे प्रभाग जिनके लेखों में 15 अंकीय कोड (वर्गीकरण) एवं विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाये गये हैं—

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम
1	11	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर
2	12	प्र.नि.सा.वा. वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़
3	13	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग प्रयागराज
4	14	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी
5	42	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग रायबरेली
6	45	प्र.नि.सा.वा. वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई
7	51	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग आजमगढ़
8	52	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बलिया
9	61	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग आगरा
10	62	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मैनपुरी
11	63	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मथुरा
12	66	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग फिरोजाबाद
13	72	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग ललितपुर
14	73	उप वन संरक्षक झाँसी वन प्रभाग झाँसी
15	77	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट
16	81	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली
17	82	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बदायूं
18	83	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर
19	85	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग पीलीभीत
20	153	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग देवरिया
21	221	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग मुरादाबाद

22	373	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर
23	376	प्र.नि.सा.वा. वन प्रभाग बाराबंकी
24	377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती
25	378	प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमेठी
26	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र
27	422	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग गाजीपुर
28	473	प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर वाराणसी
29	523	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर
30	551	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार कीआपत्तियाँ—

1	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र	1— लेखा 6 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2— ई—7 में पूर्ण वर्गीकरण सहित लेखाशीर्ष अंकित नहीं है। 3— मासिक लेखा माह 10/2022 लेजर ई—13 में असमायोजित धनराशि का समायोजन नहीं किया गया।
2	प्रभागीय वनाधिकारी रेन्कूट वन प्रभाग रेन्कूट सोनभद्र	1—लेखा 4 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2—कैश एकाउंट में 15 अंकीय वर्गीकरण अपूर्ण अंकित है। 3— सी.टी.आर./सी.टी.आई मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग शामली	1—लेखा 4 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2—मासिक लेखे के साथ सभी वांछित प्रपत्र प्रेषित नहीं हैं।
4	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज	1—लेखा 4 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2—मासिक लेखे के साथ सभी वांछित प्रपत्र प्रेषित नहीं हैं।
5	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई—13 एवं ई—14 संलग्न नहीं हैं।
6	वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ	1— ई—7 के अतिरिक्त कोई भी वांछित प्रपत्र मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं है।
7	प्र.नि.सा.वा. प्रभाग बुलंदशहर	1— प्रपत्र ई—7 (कैश अकाउंट) पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण अंकित किया गया है। 2— सीटीआर./सी.टी.आई मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं है, प्राप्ति पक्ष में त्रुटिपूर्ण लेखाशीर्ष अंकित है।
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी, लखनऊ	1— मासिक लेखाबन्दी पूर्ण होने के पश्चात पुनः मासिक लेखा प्रेषित जो ईमेल द्वारा पूर्व प्रेषित मासिक लेखे से भिन्न है।
9	मुख्य वन संरक्षक अवध क्षेत्र लखनऊ	1—लेखा 6 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई—11, ई—13, ई—23 एवं ई—14 संलग्न नहीं है। 3— मासिक लेखा ईमेल से प्राप्त हुआ किन्तु मूल लेखा समस्त प्रमाणकों सहित प्राप्त नहीं हुआ है।
10	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई—11, ई—23 एवं ई—14 संलग्न नहीं है। 2— मासिक लेखा ईमेल से प्राप्त हुआ किन्तु मूल लेखा समस्त प्रमाणकों सहित प्राप्त नहीं हुआ है।

11	वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू वृत्त अयोध्या	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6 , ई-11, ई-13, ई-23 एवं ई-14 संलग्न नहीं है। 2— सी.टी.आर./ सी.टी.आई. मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं है।
12	प्रभारी वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी	1— प्रपत्र ई-7 (कैश अकाउंट) पर 15 अंकीय लेखाशीर्ष वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
13	प्रभारी वनाधिकारी सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कुशीनगर (पड़रौना)	1— सी.टी.आर./ सी.टी.आई. मासिक लेखे के साथ संलग्न नहीं है। 1— प्रपत्र ई-7 (कैश अकाउंट) पर 15 अंकीय लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
14	प्रभारी वनाधिकारी बांदा वन प्रभाग बांदा	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13 संलग्न नहीं है। 2— माह के दौरान अनाहरित समायोजन का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित नहीं किया गया है। 3— वन प्रेषण (पार्ट -1) के अंतर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किए गए। 4— प्रपत्र ई-6 एवं ई-7 में अंकित धनराशि में भिन्नता है।
15	मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी लखनऊ	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6, ई-11, ई-13, ई-23 संलग्न नहीं है। 2— लेखे के साथ प्रेषित प्रपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। 3— वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न नहीं हैं। 4— वर्गीकृत सार में एजी प्रमाणक संख्या एवं सारांश का विवरण अंकित नहीं है। 5— व्यय के सारांश के अंत में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। 6— मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर नहीं तैयार किया गया है। 7— माह के दौरान अनाहरित समायोजन का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित नहीं किया गया है। 8— वन प्रेषण (पार्ट -1) के अंतर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किए गए।
16	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर	1— प्रपत्र ई-7 (कैश अकाउंट) पर 15 अंकीय लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
17	प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6, ई-11, ई-13, ई-23 संलग्न नहीं है। 2— प्रपत्र ई-13 लेजर में विगत कई माहों से धनराशि असमायोजित है।
18	वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-6 , ई-11, ई-13, ई-23 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।

		2— माह के दौरान अनाहरित समायोजन का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित नहीं किया गया है।
		3—वन प्रेषण (पार्ट –1) के अंतर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ प्रेषित नहीं किए गए।
19	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	1— मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई–6 , ई–11, ई–13, ई–23 एवं ई–14 संलग्न नहीं है।
20	प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक वन प्रभाग ललितपुर	1— लेखा 5 दिन विलंब से प्राप्त कराया गया। 2—प्रपत्र ई–7 (कैश एकाउंट) में 15 अंकीय वर्गीकरण अपूर्ण अंकित है। 3— मासिक लेखे के साथ संलग्न प्रपत्र वन जमा रजिस्टर में क्रेडिट एवं डेबिट की धनराशि त्रुटिपूर्ण अंकित है एवं ई–7 से भिन्न है।

अनुलग्नक :- 7

निम्नलिखित प्रभागों के 8443–00–109 में माह 03/2022–23 में अन्तिम अवशेष धनराशि
ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	प्रभागों के नाम	कोड / एफ0आर0डी0	अन्तिम अवशेष
1	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी मथुरा	63	(-)12202720
2	प्र0नि0सा0वा0 प्रभाग फिरोजाबाद	66	(-)2762628
3	प्रभागीय निदेशक, महोबा वन प्रभाग महोबा	76	(-)23315059
4	उप निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	77	(-)9844464
5	प्र0 वनाधिकारी कतरनियाघाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच	114	(-)4833882
6	प्र0नि0सा0वा0 वन प्रभाग फर्रुखाबाद	193	(-)329230.58
7	प्र0नि0 सा0वा0 कन्नौज	195	(-)714379
8	प्र0नि0 सा0वा0 बिजनोर	222	(-)337089
9	प्र0 वनाधिकारी बिजनोर वन प्रभाग नजीबाबाद	224	(-)2250643
10	प्र0 वनाधिकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर	241	(-)3442162
11	प्र0नि0 सा0वा0 वन प्रभाग सुल्तानपुर	375	(-)4949314
12	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	423	(-)25075836
13	वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना उ०प्र० लखनऊ	451	(-)2081500
14	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा	472	(-)14845554
15	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग सन्त कबीरनगर	551	(-)510462
16	वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्यजीव वृत्त बरेली	C08	(-)7000
17	मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर	C15	(-)2198374
18	मु0 वन सं० अनुश्रवण एवं मुल्यांकन लखनऊ	C23	(-)2183825
19	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	C27	(-)599921
20	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी लखनऊ	C40	(-)2194495
21	प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव उ०प्र० लखनऊ	C45	(-)26000
22	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र कानपुर	C47	(-)233000
23	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	C58	(-)2437680
		योग	(-)117375217.6

अनुलग्नक :- 8

निम्नलिखित प्रभागों के 8550–00–101 में माह 03 / 2022–23 में अन्तिम अवशेष धनराशि
ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम	धनराशि
1	11	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	(-)681737.00
2	12	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	(-)37316.00
3	13	प्र०नि०सा०वा० प्रयागराज	(-)2713376.71
4	14	प्र० वनाधिकारी कौशाम्बी वन प्रभाग	(-)569992.00
5	41	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ	(-)22331544.00
6	43	प्र०नि०सा०वा० उन्नाव	(-)0.51
7	47	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुरखीरी	(-)717735.00
8	52	प्र०नि०सा०वा० बलिया	(-)4511276.85
9	53	प्र०नि०सा०वा० मऊ	(-)18952328.00
10	61	प्र०नि०सा०वा० आगरा	(-)2402223.58
11	63	प्र०नि०सा०वा० मथुरा	(-)7789561.00
12	65	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग अलीगढ़	(-)3095648.14
13	75	प्रभागीय वनाधिकारी बांदा वन प्रभाग बांदा	(-)46408396.36
14	76	प्रभागीय निदेशक, महोबा वन प्रभाग महोबा	(-)154711683.70
15	77	उप निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	(-)50624314.54
16	81	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली	(-)3753029.00
17	82	प्र०नि०सा०वा०, बदायूँ	(-)109144.00
18	114	प्रभागीय वनाधिकारी कतरनियाघाट वन्यजीव प्रभाग बहराइच	(-)5622806.68
19	191	प्र०नि०सा०वा० प्रभाग कानपुर	(-)212666.29
20	194	प्र०नि०सा०वा० कानपुर देहात	(-)104998.67
21	222	प्र०नि०सा०वा० बिजनोर	(-)1936802.00
22	223	प्र०नि०सा०वा० रामपुर	(-)4060538.55
23	224	प्र० वनाधिकारी बिजनोर वन प्रभाग नजीबाबाद	(-)93644.00
24	374	प्र० वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा	(-)64141.33

25	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुल्तानपुर	(-)333393.44
26	377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती	(-)6153470.00
27	412	प्र० वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	(-)10120096.64
28	414	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र	(-)3897833.35
29	423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	(-)1069750.00
30	551	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग सन्त कबीरनगर	(-)9284432.00
31	C08	वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	(-)312116.00
32	C22	वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	(-)19860.46
33	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मुल्यांकन लखनऊ	(-)59869.92
34	C37	वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू(क्षेत्र)वृत्त अयोध्या	(-)12000.00
35	C40	मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी लखनऊ	(-)940.00
36	C42	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	(-)24.51
37	C52	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोणडा	(-)42228.00
		योग	(-) 362810918.2

अनुलग्नक-9

31/03/ 2023 तक अन्तिम भुगतान प्रकरण के ऋणात्मक धनराशि की सूची –

क्रम संख्या	नाम	लेखा संख्या	(-) की धनराशि	अन्तिम कार्यालय का नाम	ऋणात्मक धनराशि आने का कारण	कृत कार्यवाही
1	के०सी० भटनागर	एफ०य०२१६०	26320	प्र०नि०सा०वा०, बुलन्दशहर	वर्ष 78–79 में प्रा. अवशेष त्रुटिपूर्ण होना तथा 85–86 में 12000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 05.03.1998, 03.11.2017 एवं 05.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
2	रामानन्द त्यागी	एफ०य०२८९५	6455	प्र० नि०सा०वा०, गाजियाबाद	5000/- का आहरण माह 02/1978 में न घटाया जाना।	दिनांक 24.3.1993 , 03.11.2017 एवं 29.12.2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
3	स्व० गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	एफ०य०२९१६	43717	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 1987–88 में 31000/- का आहरण घटाए बिना 90% भुगतान विभाग द्वारा किया जाना।	दिनांक 04.7.1994 , 03.11.2017 एवं 05.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
4	बंश बहादुर सिंह	एफ०य०३०३५	24043	प्र०वनाधिकारी, प्रतापगढ़	10000/- का आहरण माह 03/1986 में न घटाया जाना।	दिनांक 29.2.1996 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
5	उमा शंकर लाल श्रीवास्तव	एफ०य०३०९६	5006	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 88–89 की लेखापर्ची के आधार पर 90% का भुगतान किया जाना जबकि वर्ष 1988–89 में 9000/- तथा वर्ष 1984–85 में 2500/- के आहरण लुप्त थे।	दिनांक 05.07.1994, 03.11.2017 एवं 06.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
6	स्व० आगा मोहम्मद नाजिम	एफ०य०३५६०	3299	प्र०वनाधिकारी, उत्तरी गोंडा	1977–78 में 1500/- तथा 1985–86 में 2000/- के आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 27.3.1993 , 03.11.2017 एवं 29.12.2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
7	प्रहलाद सिंह	एफ०य०३५६२	3267	प्र० वनाधिकारी, दक्षिणी गोरखपुर	माह 08/1974 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 30.11.1992 से दिनांक 10.04.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये। कोर्ट केस

8	सत्य सिंह	नारायण	एफ०यू० 4149	13258	प्र० वनाधिकारी, ओबरा	1978–79 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.4.1991 , 03.11.2017 एवं 06.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
9	प्रेम तिवारी	नारायण	एफ०यू० 4314	2382	प्र० नि० सा० वा० कानपुर	1985–86 में प्रा. अवशेष 7418/- के स्थान पर त्रुटिपूर्ण प्रा. अवशेष 10369/-लेकर 90% भुगतान किया जाना।	दिनांक 10.07.1991 , 03.11.2017 एवं 05.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
10	ओम प्रकाश		एफ०यू० 6459	16854	प्र० नि० सा० वा० मथुरा	3744/- का आहरण अंकित किए बिना 90% का भुगतान किया जाना।	
11	रघुवीर सिंह		एफ०यू० 7167	14092	प्र० नि० सा० वा० मुरादाबाद	वर्ष 1981–82 में अंतिम अवशेष 1036/- के विरुद्ध 3000/- का आहरण जिसके कारण 90% में अधिक भुगतान किया जाना।	दिनांक 05.01.1994 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
12	वी०सी० गुजराल		एफ०यू० 7173	7084	प्र०वनाधिकारी, झांसी	इस कार्यालय में आहरण 1500/- स्वीकृत आदेश सं. 4383(1)–4(2) दि. 30. 01.76 लुप्त होना।	
13	गोपाल त्रिपाठी		एफ०यू० 7625	7198	प्र०वनाधिकारी, रेन्कूट	वार्षिक लेखाबन्दी में विभाग द्वारा अधिक धनराशि अंकित किया जाना।	
14	स्व० ए०एन०सिंह		एफ०यू० 7629	7312	प्र०वनाधिकारी, सोनभद्र	13000/- का आहरण स्वीकृत किन्तु अभिदाता के खाते में इतनी धनराशि उपलब्ध न होना।	
15	मो० नकी		एफ०यू० 8817	13564	प्र०वनाधिकारी, पूर्वी बहराइच	दि. 12.03.84 को 6350/- का आहरण स्वीकृत जिसको घटाने पर पासबुक में धनराशि ऋणात्मक आ गयी।	दिनांक 23.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
16	राम जनम सिंह		एफ०यू० 9106	4289	प्र०वनाधिकारी, ओबरा	वर्ष 81–82 में 2000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
17	राम सनेही		एफ०यू० 12552	7532	प्र० नि० सा० वा० मथुरा	माह 05 / 1995 में 42345/- के स्थान पर 48939/- का भुगतान 90% के रूप में किया जाना।	दिनांक 29.5.1995 , 03.11.2017 एवं 06.01.2022 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
18	कुंज बिहारी लाल		एफ०यू०	12175	प्र०वनाधिकारी,	माह 09 / 1997 में	दिनांक 17.07.2001 ,

		14515		रेनुकूट	उपलब्ध धनराशि 70967/- के स्थान पर 83142/- का भुगतान 90% के रूप में किया जाना।	03.11.2017 एवं 29.12.2021 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।	
19	राम हरख	एफ०यू० 11435	62174	एन०सी०एस० पी० आगरा	वर्ष 1988–89 में 3000/- का आहरण न घटाया जाना तथा 90% भुगतान बिना मिलान के किया जाना।	दिनांक 20.8.2014 से दिनांक 03.11.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।	
योग		280021					

वन विभाग का वर्ष 2017–18 से वर्ष 2022–23 तक का व्यय निम्न प्रकार हैं—

अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	2017-18			2018-19		
		बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	2406 02 112	361,049,000.00	361,862,076.01	(+) 813076.01	398,079,000.00	388,887,750.00	(-) 9191250.00
	4406 02 112	36,732,000.00	36,732,000.00	0.00	9,020,000.00	3,620,000.00	(-) 5400000.00
60	2406 01 001	7,225,924,000.00	5,643,497,385.04	(-) 1582426614.96	7,592,175,000.00	5,702,396,165.00	(-) 1889778835.00
	2406 01 070	18,500,000.00	9,130,700.00	(-) 9369300.00	10,000,000.00	9,806,780.00	(-) 193220.00
	2406 01 101	5,300,000.00	4,500,971.00	(-) 799029.00	4,500,000.00	4,889,597.00	(+) 389597.00
	2406 01 102	800,000.00	1,659,323.00	(+) 859323.00	15,500,000.00	4,836,296.00	(-) 10663704.00
	2406 01 105	1,000,000.00	1,000,007.00	(+) 7.00	1,000,000.00	982,172.00	(-) 17828.00
	2406 01 800	16,501,000.00	12,077,809.00	(-) 4423191.00	18,649,000.00	15,596,470.00	(-) 3052530.00
	2406 02 110	142,692,000.00	148,684,946.00	(+) 5992946.00	139,232,000.00	211,554,650.00	(+) 72322650.00
	2406 02 111	60,000,000.00	70,000,000.00	(+) 10000000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
	2407 60 800	77,589,000.00	51,579,697.00	(-) 26009303.00	80,440,000.00	51,527,856.01	(-) 28912143.09
	4406 01 101	3,500,000.00	3,465,249.00	(-) 34751.00	3,500,000.00	2,681,549.00	(-) 818451.00
	4406 01 102	3,217,548,000.00	1,564,383,585.30	(-) 1653164414.70	1,657,496,000.00	1,622,830,991.00	(-) 34665009.00
	4406 01 800	106,665,000.00	25,891,521.00	(-) 80773479.00	53,721,000.00	22,547,000.00	(-) 31174000.00
	4406 02 110	108,813,000.00	72,523,945.00	(-) 36289055.00	134,332,000.00	120,610,580.00	(-) 13721420.00
	4406 02 111	65,310,000.00	506,476,000.00	(-) 441166000.00	255,869,000.00	255,045,000.00	(-) 824000.00
81	4406 01 796	5,643,000.00	5,643,000.00	0.00	5,975,000.00	5,795,908.00	(-) 179092.00
	2406 01 796	0.00	0.00	0.00	268,000.00	44,800.00	(-) 223200.00
83	4406 01 789	155,156,000.00	152,687,260.00	(-) 2468740.00	164,267,000.00	154,386,127.00	(-) 9880873.00
	योग	11,608,722,000.00	8,671,795,474.35	(-)2936926525.65	10,614,023,000.00	8,648,039,691.01	(-) 1965983308.99

		2019-20			2020-21		
अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	240602112	477,714,000.00	436,277,655.00	(-)41436345.00	540,875,000.00	470,155,748.00	(-)70719252.00
	440602112	23,735,000.00	23,735,000.00	0.00	9,020,000.00	9,000,000.00	(-)20000.00
60	240601001	8,124,506,000.00	5,836,038,251.00	(-)2288467749.00	8,377,441,000.00	5,221,040,545.00	(-)3156400455.00
	2406 01070	10,000,000.00	9,998,910.00	1,090.00	10,000,000.00	9,973,674.00	(-)26326.00
	2406 01101	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	16,772,000.00	17,589,829.00	(+) 817829.00
	2406 01102	126,361,000.00	4,852,658.00	(-)121508342.00	20,098,000.00	5,759,581.00	(-)14338419.00
	240601105	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	240601800	23,617,000.00	19,831,306.00	(-)3785694.00	25,199,000.00	22,079,190.00	(-)3119810.00
	240602110	274,765,000.00	256,676,667.00	(-)18088333.00	392,982,000.00	256,996,831.00	(-)135985169.00
	240602111	71,000,000.00	83,500,000.00	(+)12500000.00	71,200,000.00	105,613,987.00	(+) 34413987.00
	240604103	2,000,000,000.00	623,154,301.00	(-)1376845699.00	2,751,650,000.00	2,491,135,117.00	(-)260514883.00
	240760800	86,580,000.00	46,939,784.00	(-)39640216.00	90,120,000.00	49,699,019.00	(-)40420981.00
	440601101	3,500,000.00	3,499,699.00	(-)301.00	3,500,000.00	3,499,989.00	(-)11.00
	440601102	7,185,587,000.00	5,742,105,427.00	(-)1443481573.00	3,834,869,000.00	3,760,479,121.00	(-)74389879.00
	440601800	44,697,000.00	30,536,336.00	(-)14160664.00	45,970,000.00	9,999,375.00	(-)35970625.00
	440602110	333,811,000.00	171,893,636.00	(-)161917364.00	382,696,000.00	78,544,573.00	(-)304151427.00
	440602111	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00	0.00	404,000,000.00	283,063,264.00	(-)120936736.00
81	440601796	17,432,000.00	6,109,030.00	(-)11322970.00	7,036,000.00	5,801,566.00	(-)1234434.00
	240601796	8,668,000.00	8,000.00	(-)8660000.00	88,000.00	6,954.00	(-)81046.00
83	440601789	554,989,000.00	164,807,961.00	(-)390181039.00	277,436,000.00	88,337,258.00	(-)189098742.00
	240601789	24,805,000.00	382,705.00	(-)24422295.00	2,450,000.00	265,086.00	(-)2184914.00
	योग	20,401,267,000.00	14,469,847,326.00	(-)5931419674.00	17,264,402,000.00	12,890,040,707.00	(-)4374361293.00

		2021-22			2022-23		
अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक(+) / बचत(-)
10	240602112	560,231,000.00	487,571,848.00	(-)72659152.00	590,314,000.00	514,333,395.00	(-)75,980,605.00
	440602112	9,020,000.00	0.00	(-)9020000.00	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00
60	240601001	8,635,559,000.00	5,420,482,719.00	(-)3215076281.00	8,658,102,000.00	5,761,963,592.00	(-)2,896,138,408.00
	2406 01070	10,000,000.00	9,868,126.00	(-)131874.00	160,000,000.00	119,663,700.00	(-)40,336,300.00
	2406 01101	4,500,000.00	4,499,970.00	(-)30.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	2406 01102	16,476,000.00	5,459,473.00	(-)11016527.00	12,501,000.00	984,954.00	(-)11,516,046.00
	240601105	1,000,000.00	999,344.00	(-)656.00	1,000,000.00	978,696.00	(-)21,304.00
	240601800	36,880,000.00	7,738,007.00	(-)29141993.00	67,023,000.00	7,817,545.00	(-)59,205,455.00
	240602110	465,301,000.00	221,621,631.00	(-)243679369.00	500,522,000.00	371,163,092.00	(-)129,358,908.00
	240602111	95,200,000.00	143,057,765.00	(+) 47857765.00	595,830,000.00	383,659,384.00	(-)212,170,616.00
	240604103	6,000,000,000.00	3,589,041,436.00	(-)2410958564.00	6,000,000,000.00	2,317,442,318.00	(-)3,682,557,682.00
	240760800	93,235,000.00	50,506,257.00	(-)42728743.00	99,615,000.00	57,449,486.00	(-)42,165,514.00
	440601101	3,500,000.00	3,329,958.00	(-)170042.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
	440601102	5,281,608,000.00	5,335,571,183.00	(+)53963183.00	9,291,740,000.00	8,733,124,386.00	(-)558,615,614.00
	440601800	29,025,000.00	25,000,000.00	(-)4025000.00	78,405,000.00	62,499,270.00	(-)15,905,730.00
	440602110	360,752,000.00	32,595,500.00	(-)328156500.00	404,265,000.00	82,358,167.00	(-)321,906,833.00
	440602111	12,689,000.00	12,689,000.00	0.00	132,241,000.00	123,128,000.00	(-)9,113,000.00
81	440601796	8,651,000.00	6,634,676.00	(-)2016324.00	25,757,000.00	23,416,956.00	(-)2,340,044.00
	240601796	180,000.00	14,000.00	(-)166000.00	176,000.00	0.00	(-)176,000.00
83	440601789	198,452,000.00	177,264,039.00	(-)21187961.00	207,633,000.00	150,088,572.00	(-)57,544,428.00
	240601789	1,961,000.00	503,828.00	(-)1457172.00	2,044,000.00	0.00	(-)2,044,000.00
	योग	21,824,220,000.00	15,534,448,760.00	(-)6289771240.00	26844188000.00	18,727,091,513.00	(-)8,117,096,487.00